–:: नि र्ण य ::–

(आज दिनांक 20/10/20 को पारित किया गया)

1– प्रकरण में अभियुक्त ......उमेश...... की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा आब0 अधि0–1915 की धारा–34(1) के तहत दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता

2– अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिकथित नही है। उसका प्रथ होना व अपराध के स्वरूप को देखते हुये आरोपी को कारावास के दण्ड से दंडित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी, को धारा आब0 अधि0–1915 की धारा–34(1) के अपराध में उठने तक की सजा एवं रूपये रु. 1700/- (सत्रह सौ रुपये) ...... के अर्थदण्ड से दंडित किया अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर आरोपी को उक्त धारा में क्रमशः ......15 दिन/माह का कारावास भुगताया जावें।

3– प्रकरणमें जप्तशुदा मुद्देमाल......26 क्वाटर देशी प्लेन शराब मूल्यहीन अपील अवधि पश्चात् नष्ट हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित कि

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला–इंदौर (म0प्र0)

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला–इंदौर (म0प्र0)

Scanned by CamScanner